

31/12/25

पत्राव पेश हुई। मूल वाद पत्र अदम हाजिरी  
अदम वेरवी में खारिज किया जा चुका  
है। पत्र पत्र 212 सी में चलाने का  
कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्राव  
इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्राव  
फैसल शुमार होकर दारिखत दफतर हो।

